

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फैक्स व दूरभाष : 0761-2643182

ई-मेल/e-mail: zone.central.soi@gov.in

अपर महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE ADDL. S.G.

मध्य क्षेत्र Central Zone

सर्वे कालोनी, विजय नगर,
Survey Colony, Vijay Nagar,

जबलपुर - 482002 (म.प्र.)
Jabalpur - 482002 (MP)

सं./No. 330/37-जी-9(म.क्षे.)

दिनांक/Date: 17-05-2018

मध्य क्षेत्र, नेमी आदेश संख्या- 02/37-जी-9 दिनांक 17.05.2018

(1) मुख्य मानचित्रकार के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति :-

भारत के महासर्वेक्षक के आदेशानुसार इस कार्यालय के निम्नलिखित मानचित्रकार डिवी. I को मुख्य मानचित्रकार (ग्रुप बी) के पद पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में उनके नाम के आगे वर्णित तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है।

As per the order of Surveyor General of India, the undermentioned D/Man Div. I of this office is hereby promoted to the post of Chief D/Man (Gp B) on regular basis with effect from the date shown against his name in Pay Matrix level - 7 as per the details shown here under :

क्र. सं.	नाम व पदनाम	पद जिस पर पदोन्नत किया गया	पदोन्नति पर पदस्थ कार्यालय	पदोन्नति की तिथि
01	श्री लालजी प्रसाद ठाकुर (अनुसूचित जनजाति) मानचित्रकार डिवी. I Sh. Lalji Prasad Thakur (ST) D/Man Div. I	मुख्य मानचित्रकार Chief D/Man	मध्य क्षेत्र, जबलपुर Central Zone, Jabalpur	10.05.2018 (पूर्वार्द्ध) 10.05.2018 (F/N)

02. उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता संबंधी मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा सजा का मामला लंबित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी नहीं माने जाएंगे।

If any Vigilance/disciplinary proceedings/Punishment etc. are pending against the above incumbent then the above mentioned orders will not be affected.

03. उपरोक्त कर्मचारी द्वारा पदोन्नति की तिथि से एक माह के अन्दर वेतन के निर्धारण हेतु एफ0आर0 22(1)(क)(1) के अन्तर्गत 'इच्छा पत्र' प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

The employee has to submit an option for fixation of pay on his promotion under rule FR 22(1)(a)(1).

04. उपरोक्त कर्मचारी की पदोन्नति पर उनके वेतन का निर्धारण स्थापना एवं लेखाधिकारी, म.प्र. भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र, जबलपुर द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त व्यय संबंधित कार्यालय के वर्ष 2018-19 के स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।


Pay will be fixed by E&AO, MPGDC in r/o above promoted employee and the expenditure involved will be met from within the sanction grant of MPGDC for the year 2018-19 and debited to the appropriate Head of Account.

कमरा...2....

05. उपरोक्त पदोन्नति Contempt Petition (C) No. 314/2016 in SLP (C) No. 4831/2012-Samta Andolan Samiti Through its President Vs Sanjay Kothari and others के निर्णय के अधीन होगी। इस संबंध में अधिकारी से वचन पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं।

[प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी-1092/1800(1) दिनांक 28.02.2018 एवं पत्र सं. सी-2836/1800(1) दिनांक 09.05.2018.]

[Authority: SG's letter No.C-1092/1800(1) dated 28.02.2018 & letter No. C-2836/1800(1) dated 09.05.18.]


(यू. एन. गुर्जर)
अपर महासर्वेक्षक
(अतिरिक्त कार्यप्रभार)

वितरण :-

- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून।
- अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, शिलांग/उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, चण्डीगढ़/पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर/उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ/दक्षिण-मध्य क्षेत्र, हैदराबाद/दक्षिणी क्षेत्र, बैंगलोर/विशिष्ट सेवायें क्षेत्र, देहरादून/भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, हैदराबाद।
- निदेशक: महाराष्ट्र एवं गोवा जी.डी.सी., पुणे/छत्तीसगढ़ जी.डी.सी., रायपुर/भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सूदूर संचेदन निदेशालय, हैदराबाद/राष्ट्रीय जी.डी.सी., देहरादून/व्यवसाय एवं प्रचार निदेशालय, देहरादून/डी.एस.एस.डी.आई. दिल्ली/राजस्थान जी.डी.सी., जयपुर/पंजाब एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी., चंडीगढ़/हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी., चंडीगढ़/हरियाणा जी.डी.सी., चंडीगढ़/जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी., जम्मू/पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी., कोलकाता/झारखण्ड जी.डी.सी., राँची/उड़ीसा जी.डी.सी., भुवनेश्वर/उत्तराखण्ड जी.डी.सी., देहरादून/मेघालय व अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी., शिलांग/असम व नागालैण्ड जी.डी.सी., गुवाहाटी/ त्रिपुरा व मणिपुर जी.डी.सी., शिलचर/गुजरात, दमन व दीव जी.डी.सी./उत्तर प्रदेश जी.डी.सी., लखनऊ/बिहार जी.डी.सी., पटना/आंध्र प्रदेश जी.डी.सी., हैदराबाद/कर्नाटक जी.डी.सी., बंगलोर/तमिलनाडु, पाण्डिचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जी.डी.सी., चेन्नई/केरल व लक्षद्वीप जी.डी.सी. तिरुवनंतपुरम/सर्वेक्षण (हवाई) व दिल्ली जी.डी.सी., नई दिल्ली/उत्तरी मुद्रण वर्ग, देहरादून/दक्षिणी मुद्रण वर्ग, हैदराबाद/पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता/पश्चिमी मुद्रण वर्ग, दिल्ली।
- निदेशक, मध्य प्रदेश जी.डी.सी. को सूचनार्थ प्रेषित।
- क्षेत्रीय वेंतन एवं लेखाधिकारी, कोलकाता।
- स्थापना एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियाँ)।